न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 अपील अपील–4448/2018/सागर/स्टांप अधि.

सुन्दरदास पुत्र भगवानदास वसलानी,

निवासी–सिंधी धर्मशाला के पास दमोह,
जिला–दमोह म.प्र.

.........अपीलार्थी

बनाम

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उप पंजीयक दमोह

.... प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 विरूद्व आदेश दिनांक 24.05.2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक–1348/अपील/2017–18 जिसके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर के प्रकरण कमांक–03/बी–103/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2007 को स्थिर रखा गया।

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1– यहकि, अपीलार्थी सुन्दरदास द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2007 इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 40 के अधीन विचारण न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला दमोह के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस में आवेदन पत्र के साथ संलग्न इकरारनामा कीमती 13,00,000/– जो की 100/– रूपये की मुद्रा पर निष्पादित है को परिबद्व कर शुल्क एवं शास्ति जमा कराये जाने का निवेदन किया गया।

2– यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण श्रेणी ब–103 के तहत राजस्व पंजी में दर्ज कर सूचना पत्र जारी किया गया वाद विचार विचारण न्यायालय द्वारा उक्त इकरारनामें पर मूद्रांक शुल्क 12900/– रूपये एवं दस गुना शास्ती 129000/– रूपये कुल 141900/– स्टाम्प शीर्ष में जमा कराने का आदेश दिया गया जिससे दुखी होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

अपील –4448/2018/सागर/स्टाम्प अधिनियम

सुन्दरदास विरूद्ध कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–08–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस. एस. यादव व अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री डी. एस. तौमर को ग्राहयता के तर्क पर दि. 13/8/18 को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 1343/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 के अंतर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया। अपर आयुक्त के सत्यापित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी को पक्ष समर्थन का अवसर देने के उपरांत स्टाम्प शुक्ल निर्धारित किया है, जिसे अपर आयुक्त सागर द्वारा भी उचित माना है। 4/ दर्शित परिस्थितियों में ग्राह्यता के पर्याप्त आधार न होने से अपील अग्राहय की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो। (आर.के. जैन) सदस्य	